रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-05052025-262902 CG-DL-E-05052025-262902

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 245]

No. 245]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 5, 2025/वैशाख 15, 1947 NEW DELHI, MONDAY, MAY 5, 2025/VAISAKHA 15, 1947

#### विद्युत मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मई, 2025

सा.का.नि. 288(अ).— केन्द्रीय सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 176 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम, 2022 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) (संशोधन) नियम, 2025 है।
  - (2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम, 2022 के नियम 1 के उपनियम (3) में, "उत्पादक कंपनियों अंतर-राज्यीय पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों" शब्दों के स्थान पर, "उत्पादक कंपनियों, पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों" शब्द रखे जायेंगे।

2952 GI/2025 (1)

[फा. सं. 23/22/2019-आरएंडआर]

श्रीकांत नागुलापल्ली, अपर सचिव

टिप्पणी: मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड 3, उपखंड (I) में संख्यांक सा.का.नि. 416 (अ), तारीख 3 जून, 2022 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. 146 (अ) तारीख 28 फरवरी, 2024 द्वारा इन्हें संशोधित किया गया था।

# MINISTRY OF POWER NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd May, 2025

- **G.S.R. 288(E).** In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 176 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Electricity (Late Payment Surcharge and Related Matters) Rules, 2022, namely:
- 1. (1) These rules may be called the Electricity (Late Payment Surcharge and Related Matters) (Amendment) Rules, 2025.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Electricity (Late Payment Surcharge and Related Matters) Rules, 2022, in rule 1, in sub-rule (3), for the words "generating companies inter-state transmission licensees", the words "generating companies, transmission licensees" shall be substituted.

[F. No. 23/22/2019-R&R]

SRIKANT NAGULAPALLI, Addl. Secy.

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R 416 (E), dated the 3<sup>rd</sup> June 2022 and subsequently amended vide G.S.R. 146(E), dated the 28<sup>th</sup> February, 2024.